जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

अजमेर

Rashtradoot

फोनः- 2627612, 2427249 फैक्सः- 0145-2624665 वर्षः 29 संख्याः 290 प्रभात अजमेर, गुरुवार 22 मई, 2025 आर.जे./ए.जे./73/2015-2017 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

अमेरिका से भारत भेजे गये प्रत्येक 1000 डॉलर पर अब पचास डॉलर का नया टैक्स लगेगा

जैसा कि विदित ही है, अमेरिका से भारतीय मूल के 45 लाख लोग, अपने वृद्ध माँ-बाप के लिये, बच्चों की शिक्षा व अन्य इमरजैंसियों के लिए, प्रति वर्ष लगभग 100 बिलियन डॉलर भेजते हैं

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 मई। अमेरिकी प्रशासन के एक नए लैजिस्लेटिव प्रपोज़ल (विधायी प्रस्ताव) ने अमेरिका में बसे भारतीय मूल के लोगों और नई दिल्ली के नीति निर्धारकों के बीच चिंता बढ़ा दी है। ''वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट'' नाम के इस प्रस्ताव में अमेरिका से विदेश भेजी जाने वाली रकम पर 5 प्रतिशत एक्साइज़ टैक्स लगाने की बात कही गई है, यह कदम भारतीय प्रवासी और उनके देश में बसे परिवारों के बीच की एक महत्वपूर्ण फायनैंशियल लाइफलाइन को झटका दे सकता है। यदि यह कानून बनता है, तो इसका असर भारत के शहरों से लेकर गांवों तक के घरेलू बजटों पर पड़ेगा और भारत की व्यापक आर्थिक प्रणाली तक पहुँचेगा।

यह प्रस्तावित टैक्स सभी गैर-अमेरिकी नागरिकों द्वारा अपने देशों में भेजी जाने वाली राशि पर लागू होगा,

(शेष पृष्ठ 6 पर)

- अब इस 5 प्रतिशत के नये प्रस्तावित टैक्स से, इस रकम में लगभग 1.6 बिलियन डॉलर की कमी होने का अंदाज़ा है।
- गाँव व छोटे-छोटे शहरों में बसे परिवारों के लिए अमेरिका से उनके बच्चों द्वारा भेजी गई यह रकम जीवन-दायिनी का काम करती थीं। अतः अमेरिका से आने वाले पैसे की ''फ्रीक्वैंसी'' कम हो जायेगी या ''अमाउंट'' कम हो जाएगा।
- अतः, भारी संभावना है कि अब अमेरिका में रहने वाले अप्रवासी भारतीय, अपने परिवार को भेजने वाले पैसे को हवाला या अन्य ''अव्यवस्थित व गैर कानूनी'' रास्ते से भेजने लगेंगे।
- भारत में विदेश से (अमेरिका से) आने वाली रकम घटने से भारत का विदेशी मुद्रा का कोष (रिज़र्व) भी लगातार कम होगा।
- साथ ही भारत व अमेरिका के बीच संबंधों में दरार भी आ सकती है, क्योंकि ये अप्रवासी भारतीय अपनी मेहनत से अमेरिका की इकॉनमी को समृद्ध तो करते ही हैं, अपने भारत स्थित परिवारों का लालन-पालन भी करते हैं और उनकी इस जायज़ आय को बाधित करने से दोनों देशों के बीच तनाव तो आयेगा ही।
- पर, ट्रम्प इस कदम से अपने वोट बैंक को तो खुश कर रहे हैं, जो कि ''अमेरिका फर्स्ट'' नारे में विश्वास करते हैं तथा भारी संख्या में विदेशियों के अमेरिका आने को पसंद नहीं करते।

65 वर्ष के दृष्टि बाधित को जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों आना पड़ा

जयपुर, 21 मई। सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज से जुड़े मामले में 65 साल के दृष्टिबाधित आरोपी को जमानत नहीं देने को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मामला मजिस्ट्रेट कोर्ट की सुनवाई वाला केस है और पचास फीसदी दृष्टिबाधित बुजुर्ग को भी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ी।

सुप्रीम कोर्ट ने आपसी लेनदेन के धोखाधड़ी के मामले में आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के मामलों में भी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़ा।

- सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की तथा निर्देश दिये।

जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने यह आदेश राधेश्याम शर्मा की आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा है कि आरोपी को एक सप्ताह में संबंधित निचली अदालत में पेश किया जाए और अदालत उसे उचित शर्तों पर रिहा करे।

याचिका में अधिवक्ता गिर्राज प्रसाद शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता बीते करीब सात माह से जेल में बंद है। वह 65 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति है और पचास फीसदी से अधिक दृष्टि बाधित है। वहीं, मामले में पुलिस ने आरोप पत्र भी पेश कर दिया है। इस पर

(शेष पृष्ठ 6 पर)

बाँग्लादेश में सेना सत्ता संभाल सकती है

बाँग्लादेश के सेनाध्यक्ष वकार-उज़-ज़मा ने अपनी रूस की यात्रा के दौरान रूस से बाँग्लादेश में और सक्रिय होने व आपसी सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 मई। बाँग्लादेश की राजनीति हर दिन और भी जटिल होती जा रही है। बाँग्लादेश की सेना द्वारा तख्तापलट करने की संभावना नज़र आ रही है, क्योंकि सेना और अंतरिम सरकार के बीच भारी मतभेद है।

बाँग्लादेश के सेना प्रमुख वकार-उज़-ज़मां ने पिछले सप्ताह मॉस्को का दौरा किया और वहाँ रूस के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकात की। रूसी अधिकारियों के साथ बातचीत में सेना प्रमुख ने रूस के साथ अधिक सक्रिय और सार्थक सहयोग की बात की।

इस पृष्ठभूमि में, देश के अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद युनूस चीन चले गए और वहाँ के विदेश मंत्री से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने बाँग्लादेश में चीन की भागीदारी और रक्षा क्षेत्र में अधिक सहयोग की माँग की।

अंतरिम सरकार प्रमुख और सेना के बीच जारी संघर्ष स्पष्ट रूप से सामने आ गया है। हालांकि, इसका यह अर्थ नहीं है कि पूरी सेना एकजुट होकर सेना प्रमुख के पीछे खड़ी है। सेना प्रमुख की यह पहल निश्चित रूप से यह संकेत नहीं देती कि पूरी बाँग्लादेशी सेना रूस के साथ सहयोग की इस दिशा में एकमत है। बाँग्लादेशी सेना के भीतर भी गहरे

(शेष पृष्ठ 6 पर)

- दूसरी और बाँग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया, मो. यूनुस ने अपनी चीन की यात्रा के दौरान चीन को बाँग्लादेश की प्रगति में शरीक होने का आमंत्रण दिया।
- बाँग्लादेश की संपूर्ण सेना, सेनाध्यक्ष के साथ हो, ऐसा नहीं है, सेना में कई धड़े विद्यमान हैं।
- एक धड़ा जो जिहाद व रूढ़ीवादिता का समर्थक है, वो पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने के पक्ष में है। दूसरी ओर सेनाध्यक्ष समर्थक खेमे ने चेतावनी दी है कि मोहम्मद यूनुस का समर्थन करने वाला खेमा बाँग्लादेश में अस्थिरता पैदा कर रहा है, अल्पसंख्यकों को टारगैट करके तथा इससे देश में अशांति व अस्थिरता फैल रही है।
- इसलिए सेना का कहना है कि अगर मो. यूनुस का खेमा अस्थिरता व अशांति पर अंकुश नहीं लगा पाता है तो सेना को सत्ता संभालनी पड़ेगी।
- मो. यूनुस समर्थक खेमा पाकिस्तान की आईएसआई को बाँग्लादेश में ''फ्री एंट्री'' देना चाहता है व चीन से भी मैत्रीपूर्ण सहयोग की बातचीत कर रहा है। दूसरी और सेना समर्थक बाँग्लादेश का तटस्थ व उदार रूप बरकरार रखना चाहते हैं और इसी संदर्भ में सेनाध्यक्ष मॉस्को गये थे।

सुप्रीम कोर्ट ने अशोका युनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबादी को जमानत पर रिहा किया

पर, साथ ही कटाक्ष भी किया कि जब देश युद्ध में फंसा है तथा दुष्ट सड़कों पर घूम रहे हैं, तब हमें संगठित रहना चाहिए या सस्ती लोकप्रियता की फिराक में ''सांप्रदायिक टिप्पणियाँ'' करनी चाहिये

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 मई। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अशोका युनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को जमानत दे दी, जिन्हें 18 मई को ऑपरेशन सिंदूर पर विवादास्पद पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जाँच पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। प्रोफेसर को अंतरिम राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत तो दी, पर ऑपरेशन सिंदूर को ''डॉग विसलिंग'' और ''सस्ती लोकप्रियता पाने का प्रयास'' बताने के लिए कड़ी फटकार लगाई।

- सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर के खिलाफ जाँच जारी रखने की भी इजाज़त दी तथा प्रोफेसर का पासपोर्ट भी सरकार में जमा कराने का आदेश भी दिया।

कोर्ट ने निर्देश दिए कि वे पहलगाम टैरर अटैक के संबंध में और भारत-पाक शत्रुता को लेकर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, साथ ही कोर्ट ने उन्हें अपना पासपोर्ट सरैंडर करने का आदेश दिया।

महमूदाबाद को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था और हरियाणा की एक अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था।

उनकी पोस्टको सेना के लिए निंदनीय और महिला सैन्य अफसरों कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के लिए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की मीडिया ब्रीफिंग की थी, के प्रति अपमानजनक माना गया।

मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और एन. कोटिश्वर सिंह की बैंच ने की थी। जस्टिस कांत ने कहा, ''सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन क्या यह समय है, इतनी ज्यादा सांप्रदायिकता पर बात करने का.....? देश एक बड़े संकट से गुजरा है। राक्षसों ने निर्दोषों की जानें लीं। हम सभी एकजुट थे, पर ऐसे मौके पर सस्ती लोकप्रियता पाने की कोशिश क्यों?

अवैध बांग्लादेशी बता कर महिला को हिरासत में लेने का मामला

जयपुर, 21 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने जामडोली थाना इलाके में रहने वाली महिला को कथित रूप से अवैध बांग्लादेशी बताकर उसे हिरासत में लेने के मामले में गृह सचिव, डीजीपी, पुलिस कमिश्नर और जामडोली थानाधिकारी सहित, अन्य से जवाब तलब किया है। जस्टिस नरेन्द्र सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने ये आदेश शोएब की

- हाईकोर्ट ने गृहसचिव, डीजीपी, पुलिस कमिश्नर व जामडोली थानाधिकारी से जवाब तलब किया।

ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता एसएस अली ने अदालत को बताया कि गत 5 मई को याचिकाकर्ता के घर कुछ पुलिसकर्मी आए और उसकी मां साजिदा को बिना कारण बताए अपने साथ ले गए। याचिकाकर्ता ने जामडोली थाने में कई बार

(शेष पृष्ठ 6 पर)

पहलगाम की घटना ने हमारे लिये ''वेक अप'' कॉल का काम भी किया

हालांकि, पहलगाम को अंजाम देने वाले आतंकवादी अभी पकड़े नहीं गये हैं, पर, सघन ''इंटैलिजैंस कार्यवाही'' से, ''स्पाय रिंग'' का पर्दाफाश हुआ, जो देश भर में फैली हुई थी तथा जासूस पाकिस्तान में अपने ''हैंडलर्स'' से लगातार सम्पर्क में थे

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 21 मई। अभी हाल ही में हुई हरियाणा-निवासी एक यूट्यूबर तथा उसके कई सहयोगियों की गिरफ्तारी के बाद, भारत में एक बहुत बड़े जासूसी नैटवर्क के सामने आने से देश की गुप्तचर एजेंसियों की खामियों को लेकर गहन चिन्ता पैदा हो गई है। गुप्तचर एजेंसियों की कार्यक्षमता की यह चूक पहलगाम नरसंहार के बाद ही चर्चा में आ गई थी। ज्ञातव्य है कि पहलगाम में चार अज्ञात हमलावरों ने इस घातक हमले को अंजाम दिया था, लेकिन वे अभी तक इन एजेंसियों की पहुंच से बाहर हैं।

अधिकारियों के अनुसार, विभिन्न राज्यों में संबंधित जासूसी कृत्य से जुड़े 11 लोग गिरफ्तार किये गये हैं। इनमें हिसार-निवासी व्लॉगर ज्योति मल्होत्रा भी शामिल है, जिसके बारे में यह माना जा रहा है कि संवेदनशील सूचनाएं जुटाने तथा उन्हें पाकिस्तान स्थित हैन्डलर्स तक पहुंचाने में उसकी केन्द्रीय भूमिका थी। मल्होत्रा, जो इस समय पुलिस कस्टडी में है, को उन सभी स्थानों पर ले जाया जा रहा है, जहां वह पिछले वर्ष में गई थी। ऐसा संदेह है कि इन स्थानों पर उसने विदेशी संचालकों एवं आकाओं के निर्देशानुसार, विभिन्न प्रकार के सर्वे किये हैं तथा सैन्य जासूसी की है।

- हिसार की ज्योति मल्होत्रा इस ''रिंग'' की मुखिया की तरह काम कर रही थी तथा ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी ने भारत के ''इंटैलिजैंस'' की आँखे भी खोलीं, क्योंकि इससे पहले इतने बड़े ''स्पाय रिंग'' के सक्रिय होने की जानकारी कभी नहीं मिली, इसीलिए भीड़ में चारों आतंकवादी बाहर निकल गये। अगर पहलगाम की घटना नहीं होती तो हमारी ''इंटैलिजैंस'' एजेंसियां अपने निवास में आराम से सोती रहती और ''स्पाय रिंग'' निर्बाध रूप से दस साल और चलती रहती।

गृह मंत्रालय ने इस कार्यवाही को खुफिया गतिविधियों के विफल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता बताया है। लेकिन सुरक्षा विशेषज्ञ एवं पुराने अधिकारी इससे कम ही सहमत हैं। उनका कहना है कि इस जासूसी नैटवर्क का भण्डाफोड़ वस्तुतः गहरे तन्त्रगत मुद्दों एवं दोषों की ओर संकेत करता है, खासतौर से इस बात की विफलता, कि पहलगाम हत्याकांड को समय रहते रोका क्यों नहीं गया, क्योंकि उसके समय रहते पता चलने से और ज्यादा आक्रामक काउन्टरइन्टेलिजेंस रेस्पॉन्स दिया जा सकता था।

एक सेवानिवृत वरिष्ठ गुप्तचर अधिकारी ने, नाम न छापने की शर्त पर, कहा, ''अगर पहलगाम की घटना न हुई होती, तो यह नैटवर्क कई महीनों, बल्कि सालों तक हमारी नजरों में नहीं आया होता। इस घटना ने एक उत्प्रेरक (कैटलिस्ट) काम किया है। लेकिन इससे यह भी उजागर हो गया कि हम किस हद तक गैर-मुस्तैद थे।

पहलगाम की घटना में लिप्त चार हमलावरों की पहचान तथा गिरफ्तारी न

(शेष पृष्ठ 6 पर)

बाटा ने कैरी बैग के 6 रु. वसूले, 61 हजार का जुर्माना भरना पड़ा

जयपुर, 21 मई। जिला उपभोक्ता आयोग, तृतीय ने ग्राहक को जूतों के साथ कंपनी का नाम लिखा कैरी बैग देने के बदले 6 रुपए वसूलने को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस व सेवादोष माना है। इसके साथ ही, आयोग ने बाटा इंडिया पर 61 हजार रुपए हर्जाना लगाते हुए उसे निर्देश दिया है कि वह परिवादी से कैरी बैग के लिए वसूले 6 रुपए 9 प्रतिशत ब्याज

- जिला उपभोक्ता आयोग ने कहा, कैरी बैग पर बाटा का विज्ञापन है, इसलिए वह निःशुल्क होना चाहिए।

सहित लौटाए। आयोग के अध्यक्ष देवेन्द्र मोहन माथुर व सदस्य पवन कुमार भारद्वाज ने यह आदेश नीना पारीक के परिवाद पर दिए। आयोग ने कहा कि कैरी बैग पर बाटा का विज्ञापन था और ऐसे में वह निशुल्क होना चाहिए था।

मामले के अनुसार परिवादी ने 27 फरवरी, 2024 को विपक्षी के शू स्टोर से एक जोड़ी जूता व एक जोड़ी स्लीपर 4698 रुपए में खरीदे, लेकिन विपक्षी

(शेष पृष्ठ 6 पर)

ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री आज बीकानेर में

प्रधानमंत्री करणी माता के दर्शन, रेलवे स्टेशनों व सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन व जनता को संबोधित करेंगे

बीकानेर, (कासं) 21 मई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरूवार को बीकानेर आयेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री का राजस्थान का यह पहला दौरा है। कहा जा रहा है कि मोदी नाल एयरबेस पर एयरफोर्स के जवानों से भी मुलाकात कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री देशनोक में करणी माता के दर्शन करेंगे और देशनोक में ही आधुनिक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। वे पलाना (देशनोक) में सभा को संबोधित करेंगे। मोदी के स्वागत के लिए सड़कों पर बैनर और होर्डिंग लगाये गए हैं। राजस्थान के चीफ सैक्रेटरी सुधांश पंत ने बुधवार को पलाना में सभा स्थल का जायज़ा लिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि राजस्थान के अपने दौरे में कई और परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का भी अवसर मिलेगा। इनमें अनेक सड़क परियोजनाएं भी शामिल हैं। इनसे, जहां, आवाजाही की सुविधाएं बढ़ेंगी। वहीं, सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारे डिफैंस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और मजबूती मिलेगी।

- बीकानेर के लोगों व जनता में जोश का माहौल, सड़कों पर मोदी के होर्डिंग व स्लोगन लगे हैं।
- राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केन्द्रीय रेल तथा कानून मंत्री एवं राजस्थान के अनेक मंत्री बीकानेर पहुंचे। सभा स्थल पर एक लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था। तेज गर्मी के कारण 50 बैड का अस्थायी अस्पताल बनाया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज बीकानेर आयेंगे। यहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ देशनोक में करणी माता के दर्शन करेंगे और देशनोक में ही आधुनिक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे तथा पलाना (देशनोक) में सभा को संबोधित करेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी विशेष विमान से नाल एयरबेस पहुंचेंगे। यहां उनके स्वागत के लिए राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल मौजूद रहेंगे। देशनोक में करणी माता के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री मोदी देशनोक रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। यहां, अमृत भारत योजना में देशनोक रेलवे स्टेशन, बूंदी, मांडलगढ़ और गोगामेड़ी स्टेशनों के अलावा देशभर के कई स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। बीकानेर-मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी भी दिखायेंगे।

इसके बाद मोदी पलाना (देशनोक) में सभा को संबोधित करेंगे। 26,000 करोड़ से अधिक की लागत वाले प्रोजेक्ट का शिलान्यास-उद्घाटन करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली से विशेष ट्रेन से बुधवार रात 9:10 बजे बीकानेर पहुंचेंगे और वहाँ से देशनोक जायेंगे तथा व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने दुश्मनों के मंसूबों को फेल कर दिया था। ऐसे में मोदी के दौरे

(शेष पृष्ठ 6 पर)

विधायक कंवर लाल मीणा ने मनोहर थाना कोर्ट में सरैन्डर किया

जयपुर, 21 मई। भाजपा के अंता विधायक कंवरलाल मीणा ने करीब एक माह से जारी लंबी जद्दोजहद के बाद, आखिरकार बुधवार को मनोहर थाना कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सरेंडर से पूर्व कंवर लाल मीणा ने प्रसिद्ध तीर्थ कामखेड़ा बालाजी मंदिर के दर्शन किए और बालाजी का आशीर्वाद लिया। विधायक मीणा को सुप्रीम कोर्ट ने

- सुप्रीम कोर्ट ने मीणा की याचिका खारिज कर दो सप्ताह में कोर्ट में सरैन्डर करने का आदेश दिया था।

उनकी लगाई याचिका खारिज होने के बाद, दो सप्ताह के भीतर कोर्ट में सरेंडर करने के आदेश जारी किए थे।

गौरतलब है कि विधायक कंवरलाल मीणा पर 20 वर्ष पूर्व चुनाव अधिकारी पर पिस्टल तानकर धमकाने, राजकार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप लगा था। इसके बाद एडीजे कोर्ट अकलेरा की ओर से विधायक मीणा को

(शेष पृष्ठ 6 पर)